

सीटीपी (CTP) बीमे का आश्वासन



जुलाई 2016 से आपके तीसरे पक्ष [Compulsory Third Party (CTP)] का अनिवार्य बीमा प्रदान करने का तरीका बदल रहा है, पर चिन्ता न करें, आपका बीमे की राशि पहले जैसी ही रहेगी।



सीटीपी बीमा क्या होता है?

आपके तीसरे पक्ष के अनिवार्य बीमे की किश्त या सीटीपी का भुगतान उसी समय किया जाता है जब आप अपनी कार/वाहन को रजिस्टर करवाने का पैसा भरते हैं। जैसे कि आपके लिए अपनी कार/वाहन को रजिस्टर करवाना अनिवार्य है उसी तरह सीटीपी बीमा भी अनिवार्य है।

ध्यान देने योग्य यह है कि, जब साऊथ ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर की गई कार के ड्राइवर या मालिक की गलती के कारण सड़क पर टक्कर होने से जिन लोगों को चोट लगती है, उन लोगों को सीटीपी बीमा द्वारा मुआवज़ा दिया जाता है।

यदि आप सीटीपी की किश्त देते हैं और यदि सड़क का उपयोग करने वाले अन्य लोगों में से किसी को आपके कारण चोट लगती है तो उसे हरजाना देने से आप बच जाते हैं। गम्भीर चोट लगने के बाद ठीक होने व इलाज पर हज़ारों का खर्चा हो सकता इसलिए एक कार का ड्राइवर या मालिक होने के नाते यह महत्वपूर्ण है कि सीटीपी बीमा आपकी रक्षा करता है और आप व्यक्तिगत रूप से यह खर्चा करने से बच जाते हैं।

क्या बदल रहा है?

साऊथ ऑस्ट्रेलिया में सीटीपी बीमा का प्रदानकर्ता बदल रहा है। 1 जुलाई 2016 से आपके सीटीपी बीमे का कार्य, चार जाने-माने प्राइवेट बीमा प्रदानकर्ताओं में से किसी एक को दे दिया जाएगा।

पहले तीन साल के लिए, सीटीपी की कीमत उपभोक्ता कीमत तालिका (CPI) के समान ही बढ़ाई जाएगी (औसतन हर वर्ष में करीब तीन प्रतिशत)।

आपको किसी विशेष बीमाकर्ता के साथ होने से कोई अधिक लाभ नहीं होगा। सब कम्पनियों में बीमा की राशि व कीमत एक समान होगी और यदि आपको चोट लगती है तो आपको मिलने वाल मुआवज़ा भी एक समान होगा चाहे आपका बीमाकर्ता कोई भी हो।

वर्तमान में लागू भुगतान के तरीके ही उपयोग किए जाएँगे, जिसमें EzyReg की वेबसाइट व ऐप व सीधे बैंक से भुगतान करना शामिल है। आपको केवल यह करना है कि रजिस्ट्रेशन नोटिस मिलने पर जैसे आमतौर पर आप भुगतान करते उसी तरह करें।

सीटीपी बीमा का नियंत्रक कार चलाने वालों के लिए उचित व सही दाम पर सीटीपी बीमे की सुरक्षा पाना सुनिश्चित करेगा।

अधिक जानकारी के लिए देखें www.ctp.sa.gov.au

साऊथ ऑस्ट्रेलिया में मदद के लिए दुभाषिया व अनुवाद केन्द्र को 1800 280 203 पर फ़ोन करें। इनका कार्यालय सोमवार से शुक्रवार, सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है।

सीटीपी (CTP) बीमे का आश्वासन



Government of
South Australia